दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, मंगलवार 10 अगस्त 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 311

महत्वपूर्ण एवं खास

रूस में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल- 2021 में भारतीय सेना का दल भाग लेगा

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय सेना का एक 101 सदस्यीय दल दिनांक 22 अगस्त से 4 सितंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल-2021 में भाग लेने के लिए रूस रवाना होगा। यह दल विभिन्न प्रतियोगिताओं में उच्च पर्वतीय क्षेत्र, बर्फ़ के बीच सैन्य कार्रवाई, स्नाइपर कार्रवाई, बाधायुक्त मार्ग में कॉम्बैट इंजीनियरिंग कौशल आदि का प्रदर्शन करते हुए आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता (एएसएमसी), एल्ब्रस रिंग, पोलर स्टार, स्निपर फ़ंटियर और सेफ रूट गेम्स में हिस्सा लेगा। सेना का दल ओपन वाटर और फाल्कन हंटिंग गेम्स के लिए दो पर्यवेक्षकों (दोनों खेलों में एक-एक) का भी योगदान देगा, जिसमें भाग लेने वाली टीमों द्वारा पोंटून ब्रिज बिछाने और यूएवी चालक दल के कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। स्क्रीनिंग के तीन स्तरों के बाद भारतीय सेना के दल को सेना के विभिन्न अंगों में से सर्वश्रेष्ठ में से चुना गया है। इन वार्षिक खेलों में भाग लेना विश्व की सेनाओं के बीच भारतीय सेना के पेशेवराना स्तर का प्रतिबिंब है। यह प्रतियोगिता भाग लेने वाले देशों की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का उपयोग कर सेना के सेना से सहयोग भी बढ़ावा भी देती है। इससे पहले भारत उन आठ देशों में पहले स्थान पर था, जिन्होंने जैसलमेर में आर्मी स्काउट्स मास्टर प्रतियोगिता 2019 में भाग लिया था।

रक्षा मंत्रालय ने एनएसओ समूह के साथ कोई लेन-देन नहीं किया : सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। पेगासस जासूसी विवाद के बीच सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने एनएसओ समूह के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने एनएसओ ग्रुप टैक्नॉलोजीस के साथ कोई लेन-देन किया था। भट्ट ने इसके जवाब में कहा कि रक्षा मंत्रालय ने एनएसओ ग्रुप टैक्नॉलोजीस् के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि इजराइल की निगरानी सॉफ्टवेयर कंपनी एनएसओ समूह पर भारत सहित कई देशों में लोगों के फोन पर नजर रखने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं। पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर संसद के मानसून सत्र में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है जिससे दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही है।

अफगानिस्तान में 20 नागरिकों की मौत, क्लिनिक और स्कूल क्षतिग्रस्त

काबुल। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में जारी हवाई हमले, रॉकेट हमले और संघर्ष के बीच पिछले 48 घंटों के दौरान 20 नागरिकों की मौत हो गई और एक स्वास्थ्य क्लिनिक एवं एक स्कूल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सुरक्षा बलों ने मीडिया को बताया कि तालिबान आतंकवादी उन जिलों में छिपे हुये थे जहां क्लिनिक और स्कूल क्षतिग्रस्त हुये हैं। संभावना जताई जा रही है कि इन जिलों में तालिबान आतंकवादियों को लक्षित करते हुये अमेरिकी विमान बी-52 स्ट्रैटोफ़ोर्ट्रेस से हवाई हमले किये गये। मीडिया ने अमेरिकी रक्षा सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका ने तालिबान से लड़ने के लिए बी-52 स्ट्रैटोफ़ोर्ट्रेस विमान अफगानिस्तान भेजे हैं।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर 100 कट्टरपंथियों का हमला, भीड़ ने घरों और मंदिरों में की तोड़फोड़

ढाका। बांग्लादेश के खुलना जिले में मौलवियों के उकसाने पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने 50 से ज्यादा हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया। इस दौरान भीड़ ने 10 से अधिक मंदिरों को अपनी चपेट में लिया और जमकर तोड़फोड़ की। यह घटना बांग्लादेश के खुलना जिले के रूपशा उपजिला के शियाली गांव की है। शियाली गांव में मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी गईं। साथ ही दुकानों और हिंदू लोगों के कुछ घरों में जमकर तोड़फोड़ हुई। इस मामले में पुलिस ने रविवार को 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताते हैं सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश करने के साथ इलाके में शांति व्यवस्था बरकरार रखने पर जोर दे रही है।

सरकार के ओबीसी आरक्षण विधेयक का समर्थन करेगा विपक्ष

नई दिल्ली (आरएनएस)। हंगामे और शोर-शराबे के बीच चल रहे संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है। इस दौरान मोदी सरकार अहम बिल पास करवाने की कोशिश कर रही है और इनमें सबसे ऊपर ओबीसी आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक है। केंद्र सरकार ने इस विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश किया है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि वह इस बिल के समर्थन में है। अगर बिल पास हो जाता है तो एक बार फिर से राज्यों को ओबीसी सूची में किसी जाति को अधिसूचित करने का अधिकार मिल जाएगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज

सभी विपक्षी दलों ने बैठक की और निर्णय लिया कि उक्त विधेयक पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित इस विधेयक को पारित कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम विपक्ष की जिम्मेदारी समझते हैं। सभी विपक्षी दलों ने फैसला किया कि इस पर चर्चा कराके पारित कराया जाना चाहिए। इस विधेयक के साथ देश के पिछड़े वर्ग का संबंध है।

वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को बताया कि सभी विपक्षी पार्टियां 127वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने को तैयार है। उन्होंने संसद भवन में आज हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद यह जानकारी दी। खड़गे ने बताया कि इस बैठक में विपक्षी पार्टियों ने सरकार के साथ सहयोग करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन राज्यों के उस अधिकार को बहाल करने के लिए किया जा रहा है जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को अधिसूचित कर सकें। उन्होंने कहा कि इस देश में आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े समुदाय से है। बिल पेश किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी और उसी दिन यह पास कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को दिए अपने फैसले में कहा था कि ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है।

संशोधन विधेयक पास होने से क्या होगा असर?- संसद में संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26) सी के संशोधन पर अगर मुहर लग जाती है तो इसके बाद राज्यों के पास ओबीसी सूची में अपनी मर्जी से जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल होने का मौका मिल सकता है। लंबे समय से ये जातियां आरक्षण की मांग कर रही हैं। इनमें से मराठा समुदाय को महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आरक्षण दिया भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को दिए फैसले में इसे खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

» राष्ट्रीय टास्कफोर्स ने दिए थे अहम सुझाव

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन आवंटन के बारे में राष्ट्रीय टास्कफोर्स के सुझावों पर अमल को लेकर दो सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। इस टास्कफोर्स का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था। देश में दूसरी कोरोना लहर के दौरान जबर्दस्त ऑक्सीजन संकट पैदा हो गया था। कई राज्यों में इसकी कमी के चलते अनेक लोगों की मौत की खबरें आई थीं।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि चूंकि एनटीएफ में वरिष्ठ डॉक्टर व विशेषज्ञ शामिल हैं, इसलिए केंद्र से अपेक्षा की जाती है कि उनकी सिफारिशों का नीतिगत स्तर पर पालन होना चाहिए, ताकि मौजूदा व भविष्य में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड व जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद करना तय किया। इस मामले को कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियों को लेकर स्वत- संज्ञान लेकर दायर अन्य याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि एनटीएफ की अंतिम रिपोर्ट दायर की जा चुकी है और राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की जरूरत के आकलन को लेकर उपसमिति की अंतरिम रिपोर्ट भी दायर की जा चुकी है। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केंद्र के अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मरीजों के लिए 700 टन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सप्लाई करने के उसके आदेश का पालन नहीं करने पर केंद्र के अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की है।

पद्म पुरस्कार 2022 के लिये नामांकन 15 सितंबर 2021 तक आमंत्रित

नई दिल्ली (आरएनएस)। गणतंत्र दिवस, 2022 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों (पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म) के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें अभी खुली हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2021 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/अनुशंसाएं केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल https://padmaawards.gov.in पर ही ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।

सरकार पद्म पुरस्कारों को 'जन पद्म' के रूप में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है। अत- सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे स्व-नामांकन सहित नामांकन/अनुशंसा करें। उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों के बीच सराहे जाने के योग्य हैं और जो निस्स्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं।

नामांकन/सिफारिश में वे सभी संबंधित विवरण शामिल होने चाहिए जो उपरोक्त पद्म पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट किए गए हैं, जिसमें एक विवरणात्मक या अनुशंसित उद्धरण (अधिकतम 800 शब्द) भी शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही अनुशंसित व्यक्ति की अपने संबंधित क्षेत्र/विषय में हासिल की गई विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का अनिवार्य टीकाकरण पर रोक से इनकार

» ट्रायल के आंकड़ों के खुलासे पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारत में पहले से ही कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर हिचक की समस्या है, ऐसे में इसके प्रभावकारिता को लेकर अदालत की ओर से कोई संदेश नहीं आना चाहिए।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के पूर्व सदस्य जैकब

पुलियल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोविड -19 टीकों के क्लीनिकल ट्रायल के आंकड़ों का खुलासा करने की मांग की गई थी। याचिका में लोगों पर कोविड-19 वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभावों के आंकड़ों को सार्वजनिक करने का निर्देश देने की भी मांग की गई, जिसमें कहा गया था कि सरकार टीका लेने के लिए लोगों को मजबूर कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य टीकाकरण पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने केंद्र, स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और वैक्सीन निर्माताओं को कोरोना वायरस टीके के ट्रायल डेटा के खुलासे के संबंध में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा, देश में 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ नहीं हो सकती छेड़छाड़- कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमने 100 साल में ऐसी महामारी नहीं देखी, इसलिए आपात स्थिति में वैक्सीन को संतुलित करना जरूरी है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह न तो वैक्सीन विरोधी याचिका है और न ही याचिकाकर्ता देश में कोविड के टीकाकरण को रोकने की मांग कर रहा है। प्रशांत भूषण ने कहा कि टीके के परीक्षण में पारदर्शिता की जरूरत है और आंकड़ों के खुलासे से सभी संदेह दूर हो जाएंगे।

अंधविश्वास में 8 वर्षीय बच्ची की हत्या कर आंख का बनाया ताबीज, 4 गिरफ्तार

मुंगेर(आरएनएस)। बिहार के मुंगेर जिला के सफियाबाद थाना क्षेत्र से एक आठ वर्षीय बच्ची का क्षत विक्षत शव बरामद होने के बाद, मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दावा किया कि अंधविश्वास में बच्ची की हत्या की गई और उसकी आंख निकालकर ताबीज बनाया गया। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रामनगर के पदम गांव के रहने वाले दिलीप कुमार को पांचवां बच्चा चाहिए था। दिलीप की पत्नी का गर्भपात हो गया था। इस बार दिलीप किसी भी हाल में पत्नी का गर्भपात नहीं चाहता था। उसने अपनी पीड़ा अपने दोस्त दशरथ और तनवीर को बताई।

तनवीर ने खगड़िया के मधुरा गांव निवासी और ओझा-गुणी का काम करने वाले परवेज आलम से दिलीप को संपर्क करवाया। परवेज ने गर्भपात से बचने के लिए एक बच्ची की आंख से बनी ताबीज बनाकर पत्नी को पहनाने की सलाह दी।

बुधवार को सफियाबाद सहायक थाना क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बच्ची जब गंगा तट से अपने पिता के पास से वापस अपने घर लौट रही थी तभी आरोप है कि दिलीप, दशरथ और तनवीर बच्ची को अपने साथ ले गए और उसकी नृशंस तरीके से हत्या कर उसकी एक आंख निकाल ली और उसे खगड़िया ले गए।

आंख को जलाकर उसके राख से ताबिज बनाई गई जिसे दिलीप की पत्नी को पहनाया गया।

रेड्डी ने बताया कि इस मामले में ओझा गुणी का काम करने वाले परवेज सहित चार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार की सुबह सफियाबाद सहायक थाना क्षेत्र से एक बच्ची का क्षत विक्षत शव गांव के ही पास एक ईंट भट्ठे के समीप सुनसान स्थान पर पेड़ के नीचे से बरामद किया गया था। दायीं आंख निकली हुई थी और बाईं आंख को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हाथ की अंगूलियों को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था। परिजन दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई थी।

देश में कम हुई कोरोना की रफ्तार

» 24 घंटों में 35,499 नए मामले, 447 की मौत

नई दिल्ली(आरएनएस)। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव के बाद फिर से कमी आती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 35,499 नए मामले दर्ज किये गये और संक्रमण के कारण 447 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक दिन पहले रविवार 39,070 नए कोरोना मामले आए थे, जिनके मुकाबले आज करीब चार हजार कम मामले दर्ज किये गये।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 39,466 लोगों ने कोरोना को मात देकर स्वस्थता हासिल की है। जबकि देश में अभी भी संख्या 4,02,188 सक्रीय मरीज बने हुए हैं। केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। महाराष्ट्र में इस दौरान 5580 मरीज मिले हैं। जबकि कर्नाटक में

1598 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में साप्ताहिक स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में 4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, पिछले सप्ताह नए मामलों में 7.5 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद संक्रमण के मामलों में कमी आई है। पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम आ रही है। सिक्किम में 43 प्रतिशत, त्रिपुरा में 32 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश में 26 प्रतिशत, मणिपुर में 25 प्रतिशत और मिजोरम में 22 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

संसद में पारित हुआ नौ अपीलीय ट्रिब्यूनल खत्म करने वाला विधेयक

» पेगासस मुद्दे पर हंगामे के बीच विधेयक पर मत विभाजन में विपक्ष हुआ पस्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। सोमवार को राज्यसभा में पेगासस मुद्दे पर हंगामे के बीच ही न्यायाधिकरण सुधार विधेयक को मंजूरी दे दी गई, जबकि लोकसभा ने इसे तीन अगस्त को ही पारित कर दिया था। इस प्रकार इस विधेयक पर संसद की मुहर लग गई। विधेयक मे नौ अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त करने का प्रावधान है। इनमें फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल भी शामिल है।

विधेयक को वित्त मंत्री निर्मला

सीतारमण ने राज्यसभा में पेश किया। इसे ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। विपक्ष ने इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने का आग्रह किया, लेकिन मत विभाजन के जरिए इसे खारिज कर दिया गया। विधयेक के पारित होते ही विपक्षी सदस्य गर्भगृह में आ गए और कृषि कानून, जासूसी व अन्य मामलों को लेकर हंगामा करने लगे। संसद ने सोमवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच 'अधिकरण सुधार विधेयक, 2021' को मंजूरी दे दी। इससे पहले सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के विपक्ष के प्रस्ताव को मतविभाजन के बाद खारिज कर दिया। सदन ने 44 के मुकाबले 79 मतों से विपक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह विधेयक कानून बनने के बाद संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा जो चार अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। सदन ने अध्यादेश को नामंजूर करने के प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से खारिज कर दिया। पेगासस जासूसी, कृषि कानून, महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन में विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा हुयी। हालांकि मत विभाजन के समय सदन में शांति थी और सभी सदस्य अपने स्थानों पर थे। चर्चा में भाग लेते हुए ज्यादातर सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया। सदस्यों ने अधिकरणों में खाली पदों को जल्दी भरने, न्यायपालिका के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि करने और अदालतों को बुनियादी ढांचे मुहैया कराने की जरूरत पर बल दिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि देश में आपातकाल लागू करने वाली पार्टी न्यायिक स्वतंत्रता की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार न सिर्फ न्यायिक स्वतंत्रता का सम्मान करती है बल्कि उसके लिए प्रतिबद्ध भी है। सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर भी निशाना साधते हुए निर्मला ने कहा कि आम लोगों के लिए कानून बनाने का काम भी महत्वपूर्ण है और इस विधेयक के प्रावधानों से उन्हें राहत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर सवाल किया था। उन्होंने कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामले हैं।

इस विधेयक में चलचित्र अधिनियम 1952, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 सहित कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में अधिकरणों से उच्चतम न्यायालय में सीधे अपील दायर करने का विरोध किया है। अतः अधिकरणों का और सरलीकरण आवश्यक समझा गया क्योंकि इससे राजकोष में पर्याप्त खर्च की बचत होगी और त्वरित रूप से न्याय प्रदान किया जा सकेगा।